पंचदश माला, खंड 31, अंक 1

गुरुवार, 21 फरवरी, 2013
2 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 10 Feb. 2016

सत्यमेव जयते

(खंड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

प्रमोद कुमार मिश्र
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

मनोज कुमार सिंह
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 31, तेरहवां सत्र 2013/1934 (शक)]

अंक 1, गुरुवार, 21 फरवरी, 2013/02 फाल्गुन, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	(iii)-(xiii)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xv)
मंत्रिपरिषद	(xvii)-(xx)
राष्ट्रगान	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1–22
निधन संबंधी उल्लेख	22–24

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर-पूर्व दिल्ली)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डॉ. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अजमल, श्री बदरूद्दीन (धुबरी)

अजहरुद्दीन, मोहम्मद (मुरादाबाद)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अधिकारी, श्री शिशिर (कांथी)

अधिकारी, श्री सुवेन्दु (तामलुक)

अनन्त कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख (श्रीनगर)

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अर्गल, श्री अशोक (भिंड)

अलागिरी, श्री एम. के. (मदुरै)

अलागिरी, श्री एस. (कुड्डालोर)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

अहमद, श्री सुल्तान (उलुबेरिया)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

आरुन रशीद, श्री जे. एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री टी. के. एस. (चेन्नई उत्तर)

इस्लाम, शेख नूरुल (बसीरहाट)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

उपाध्याय, श्रीमती सीमा (फतेहपुर सीकरी)

एंटोनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह (बरेली)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)

कटारिया, श्री लालचन्द (जयपुर ग्रामीण)

कटील, श्री नलिन कुमार (दक्षिण कन्नड़)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

करवारिया, श्री कपिल मुनि (फूलपुर)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री दिनेश (बस्तर)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कामत, श्री गुरुदास (मुंबई उत्तर पश्चिम)

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी (श्रीकाकुलम)

कुमार, श्री अजय (जमशेदपुर)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरूचिरापल्ली)

कुमार, श्री मिथिलेश (शाहजहांपुर)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारास्वामी, श्री एच. डी. (बंगलौर ग्रामीण)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका)

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

कृष्टप्प, श्री एन. (हिन्दुपुर)

केपी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कोड़ा, श्री मधु (सिंहभूम)

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी (गडचिरोली-चिमुर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महोदव सिंह (सीकर)

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराम पाटील (नांदेड़)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खुर्शीद, श्री सलमान ((फर्रूखाबाद)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद)

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)

गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी. सी. (बागलकोट)

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतमाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्री वरुण (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (फरीदकोट)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोहैन, श्री राजेन (नोगोंग)

गौडा, श्री डी. बी. चन्द्रे (बंगलौर उत्तर)

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)

घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

घुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)

चांग, श्री सी. एम. (नागालैंड)

चाको, श्री पी. सी. (थ्रिसूर)

चित्तन, श्री एन. एस. वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)

चौधरी, श्री जयन्त (मथुरा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी-महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहान, श्री दारा सिंह (घोसी)

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

चौहान, श्रीमती राजकुमारी (अलीगढ़)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)

जतुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)

जेयदुरई, श्री एस. आर. (थूथुकुडी)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

जहां, श्रीमती कैसर (सीतापुर)

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद (देवरिया)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जावले, श्री हरिभाऊ (रावेर)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरूक्षेत्र)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जूदेव, श्री दिलीप सिंह (बिलासपुर)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)

टैगोर, श्री मानिक (विरूद्धुनगर)

टोप्पो, श्री जोसेफ (तेजपुर)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीपुर, हि.प्र.)

ठाकोर, श्री जगदीश (पाटन)

डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)

डे, डॉ. रत्ना (हुगली)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

श्री संजय, तकाम (अरुणाचल पश्चिम)

तगई, श्री बिभू प्रसाद (जगतसिंहपुर)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिरकी, श्री मनोहर (अलीपुरद्वार)

तिरुमावलावन, श्री थोल (चिदम्बरम)

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल (संत कबीर नगर)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर पश्चिम दिल्ली)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)

थरूर, डॉ. शशी (तिरूवनंतपुरम)

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के. वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी. टी. (इदुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-मध्य)

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव (परभणी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवी, श्रीमती अश्वमेघ (उजियारपुर)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

देवेगौडा, श्री एच. डी. (हसन)

देशमुख, श्री के.डी. (बालाघाट)

धनपालन, श्री के. पी. (चालाकुडी)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नकवी, श्री जफर अली (खीरी)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नायक, श्री पी. बलराम (महबूबाबाद)

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्र (बनगांव)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह (गौतम बुद्ध नगर)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप (धुले)

नारायणसामी, श्री वी. (पुडुचेरी)

निरूपम, श्री संजय (मुंबई-उत्तर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)

नैपोलियन, श्री डी. (पेरम्बलूर)

पक्कीरप्पा, श्री एस. (रायचूर)

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर-चम्पा)

पटेल, श्री आर. के. सिंह (बांदा)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वलसाड)

पटेल, श्री दिनशा (खेडा)

पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)

पटेल, श्री देवराज सिंह (रीवा)

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)

पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा गोंदिया)

पटेल, श्री बाल कुमार (मिर्जापुर)

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (महेसाणा)

परांजपे, श्री आनन्द प्रकाश (कल्याण)

पलानीमनिकम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (माधा)

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)

पांडा, श्री वैजयन्त (केन्द्रपाड़ा)

पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)

पाटील, श्री ए. टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)

पाटील, श्री संजय दिना (मुंबई उत्तर पूर्व)

पाटिल, श्री सी. आर. (नवसारी)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ (भदोही)

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्री सचिन (अजमेर)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)

पाला, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)

पॉल, श्री तापस (कृष्णानगर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)

प्रधान, श्री नित्यानन्द (अस्का)

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)

प्रेमदास, श्री (इटावा)

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)

बक्शी, श्री सुब्रत (कोलकाता दक्षिण)

बनर्जी, श्री अम्बिका (हावड़ा)

बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (संभल)

बलीराम, डॉ. (लालगंज)

बशीर, श्री मोहम्मद ई. टी. (पोन्नानी)

बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बाजवा, श्री प्रताप सिंह (गुरदासपुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)

'बाबा', श्री के. सी. सिंह (नैनीताल-उधमसिंह नगर)

बालू, श्री टी. आर. (श्रीपेरूम्बुदुर)

बाल्मीकि, श्री कमलेश (बुलन्दशहर)

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई (राजकोट)

बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)

बिसवाल, श्री हेमानंद (सुन्दरगढ़)

बिजू, श्री पी. के. (अलथूर)

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बेसरा, श्री देवीधन (राजमहल)

बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

भगत, श्री सुदर्शन (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (हिसार)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भूरिया, श्री कांति लाल (रतलाम)

भैया, श्री शिवराज (दमोह)

भोंसले, श्री उदयनराजे (सतारा)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

मंडल, डॉ. तरुण (जयनगर)

मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार (बलूरघाट)

मणि, श्री जोस के. (कोट्टयम)

मणियन, श्री ओ. एस. (मईलादुतुरई)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री नरहरि (पुरूलिया)

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (बाल्मीकिनगर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महापात्र, श्री सिद्धांत (बरहामपुर)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)

मांझी, श्री हरि (गया)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई मध्य)

मित्रा, श्री सोमेन (डायमंड हार्बर)

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)

मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल (दौसा)

मीणा, श्री नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुवीर सिंह (उदयपुर)

मुंडे, श्री गोपीनाथ (बीड)

मुखर्जी, श्री अभिजीत (जंगीपुर)

मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिर्देशित)

मैन्या, डॉ, थोकचोम (आतंरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

मोहन, श्री पी. सी. (बंगलौर मध्य)

यादव, श्रीमती डिंपल (कन्नौज)

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री अरूण (खंडवा)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)

यादव, श्री मधुसूदन (राजनंदगांव)

यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

राघवन, श्री एम. के. (कोझिकोड)

राघवेन्द्र, श्री बी. वाई. (शिमोगा)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री रमाशंकर (सलेमपुर)

राजा, श्री ए. (नीलगिरि)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजू, श्री एम. एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नै दक्षिण)

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री रमेश (आदिलाबाद)

राणा, श्री कादिर (मुजफ्फरनगर)

राणा, श्री जगदीश सिंह (सहारनपुर)

राणा, श्री राजेन्द्रसिंह (भावनगर)

राणे, श्री निलेश नारायण (रत्नागिरि-सिंधुदुर्ग)

राम, श्री पूर्णमासी (गोपालगंज)

रामकिशुन, श्री (चन्दौली)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामशंकर, प्रो. (आगरा)

रामासुब्बू, श्री एस. एस. (तिरुनेलवेली)

राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच बिहार)

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुडी)

राय, श्री रुद्रमाधव (कंधमाल)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

राय, प्रो. सौगत (दमदम)

राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)

राव, श्री के. नारायण (मछलीपट्टनम)

राव, डॉ. के. एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (महबूबनगर)

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रुआला, श्री सी. एल. (मिजोरम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (चेवेल्ला)

रेड्डी, श्री एस. पी. वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के. आर. जी. (भोंगीर)

रेड्डी, श्री के. जे. एस. पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री वाई. एस. जगनमोहन (कडपा)

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका (बापतला)

लागुरी, श्री यशवंत (क्योंझर)

लाल, श्री पकौड़ी (राबर्ट्सगंज)

लालू प्रसाद, श्री (सारण)

लिंगम, श्री पी. (तेनकासी)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम (शिरडी)

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव (हिंगोली)

वासनिक, श्री मुकुल (रामटेक)

विजय शान्ति, श्रीमती एम. (मेडक)

विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)

विवेकानंद, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. (मैसूर)

विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुन्दरी)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूवन्नामलाई)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

शर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार (करनाल)

शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)

शाह, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी (टिहरी गढ़वाल)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामुला)

शिन्दे, श्री सुशीलकुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे. के. रितीश (रामनाथपुरम)

शिवप्रसाद, डॉ. एन. (चित्तूर)

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील (शिरूर)

शिवासामी, श्री सी. (तिरूपुर)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (वडोदरा)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमन्द)

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)

शेट्टी, श्री राजू (हातकंगले)

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (मल्काजगिरि)

सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मोहनलालगंज)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

साहा, डॉ. अनूप कुमार (बर्धमान पूर्व)

साहू, श्री चन्दूलाल (महासमंद)

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह, श्री आर. पी. एन. (कुशीनगर)

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिमा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री कल्याण (एटा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री जगदानंद (बक्सर)

सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री धनंजय (जौनपुर)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)

सिंह, डॉ. भोला (नवादा)

सिंह, श्री महाबली (काराकाट)

सिंह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रतन (भरतपुर)

सिंह, श्री रवनीत (आनन्दपुर साहिब)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन (मुंगेर)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर, उ.प्र.)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिद्देश्वर, श्री जी. एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई. जी. (कृष्णागिरि)

सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)

सुशान्त, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)

सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)

सोलंकी श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)

स्वामी, श्री एन. चेलुवरया (मांडया)

हक, श्री मोहम्मद असरारूल (किशनगंज)

हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)

हर्ष कुमार, श्री जी. वी. (अमलापुरम)

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)

हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)

हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)

हान्डिक, श्री बी. के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (उत्तर कन्नड़)

हेगड़े, श्री के. जयप्रकाश (उदूपी चिकमगलूर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी. सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं, जैसे: 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; और 4. अंतरिक्ष विभाग
श्री ए. के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री सुशीलकुमार शिंदे	गृह मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री कमल नाथ	शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री
श्री अजित सिंह	नागर विमानन मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री
डॉ. सी.पी. जोशी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
कुमारी सैलजा	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री जी.के. वासन	पोत परिवहन मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	रेल मंत्री

श्री एम. के. अलागिरी	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्री
श्री सलमान खुर्शीद	विदेश मंत्री
श्री वी. किशोर चन्द्र देव	जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री
श्री बेनी प्रसाद वर्मा	इस्पात मंत्री
श्री जयराम रमेश	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री के. रहमान खान	अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	खान मंत्री
श्री अजय माकन	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
श्री एम. एम. पल्लम राजू	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	विधि और न्याय मंत्री
श्री हरीश रावत	जल संसाधन मंत्री
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	संस्कृति मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
प्रो. के. वी. थॉमस	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री श्रीकांत जेना	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयंती नटराजन	पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री पबन सिंह घाटोवार	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री के. एच. मुनियप्पा	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्री जितेन्द्र सिंह	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मनीष तिवारी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री
डॉ. के. चिरंजीवी	पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमो नारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर. पी. एन. सिंह	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. शशी थरूर	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. सी. वेणुगोपाल	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. चरण दास महंत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मिलिन्द देवरा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री राजीव शुक्ला	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री तारिक अनवर	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती रानी नरह	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अधीर चौधरी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अबू हशीम खां चौधरी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सर्वे सत्यनारायण	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री निनोंग ईरींग	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती दीपा दासमुंशी	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पी. बलराम नायक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. क्रुपारानी किल्ली	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री लालचन्द कटारिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

गुरुवार, 21 फरवरी, 2013/02 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा अपराह्न 12.40 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.41 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव।

महासचिव : मैं 21 फरवरी, 2013 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

**माननीय सदस्यगण,

मैं, राष्ट्रपति के रूप में पहली बार दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए इस सत्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह सत्र सफल एवं उपयोगी होगा।

जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि एक महत्वाकांक्षी भारत का उदय हो रहा है, एक ऐसा भारत जहां अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना तथा अधिक संरक्षा एवं सुरक्षा होगी। हमारे युवा जो हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय धरोहर हैं, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका जोश, इनकी ऊर्जा और इनका उद्यम भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

इन आकांक्षाओं के बीच, हमारे सामने आर्थिक मंदी, रोजगार सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के सृजन की चुनौतियां भी हैं। समाज हमारी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लोग समय पर अपेक्षित सेवाओं को प्राप्त करने तथा व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को लेकर भी चिंतित हैं।

पिछला वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहा है। यूरोप में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। अधिकांश उभरते बाजारों में विकास की गति बहुत धीमी है। यह वर्ष भारत के लिए भी कठिन रहा है। वैश्विक एवं घरेलू, दोनों ही कारणों से हमारा विकास प्रभावित हुआ है। हमें इन दोनों के दुष्प्रभावों का समाधान करना होगा। मेरी सरकार ने इस स्थिति की ओर ध्यान दिया और निवेश गतिविधियों को पुनर्जीवित करने तथा निवेश वातावरण को सुधारने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान अनेक उपाय किए हैं।

मेरी सरकार ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण पहल की है जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली प्रारंभ की गई है। इससे सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों, यथा छात्रवृत्ति, पेंशन और मातृत्व लाभ, को सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजा जा सकेगा। लाभार्थी अपनी आधार संख्या के माध्यम से इन लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के अंतर्गत मजदूरी तथा खाद्य पदार्थों एवं एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रणाली की सहायता से निधि के दुरुपयोग को कम करने, लाखों लोगों को वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत लाने और लाभार्थियों को बेहतर रूप से चिह्नित करने में मदद मिलेगी। यह, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे निर्धनतम नागरिकों को लाभ पहुंचाने में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में एक नई दिशा-निर्धारक का कार्य करेगी, परंतु लाभ अंतरण प्रणाली सार्वजनिक सेवाओं का स्थान नहीं लेगी और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरक होगी।

माननीय सदस्यगण,

पिछले वर्ष में समाप्त हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 8383/15/13।

**भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी ने संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में अपना अभिभाषण अंग्रेजी में दिया और भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने अभिभाषण का हिन्दी पाठ पढ़ा।

घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8 प्रतिशत थी। इस योजना का उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि इसमें पिछले दशक की तुलना में गरीबी में तेजी से कमी के साथ सामाजिक समावेशिता की दिशा में भी प्रगति हुई है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंगीकार किया है जिसमें तीव्रतर, अधिक समावेशितापूर्ण और चिरस्थायी विकास पर और अधिक बल दिया गया है। 12वीं योजना में यह माना गया है कि विकास के नतीजे हमें तभी प्राप्त होंगे जब हम कठिन निर्णय ले पाएंगे। इस योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को समेकित करते हुए इनकी संख्या कम करने और इन्हें अधिक लचीला बनाने का प्रस्ताव है। इससे राज्यों को नए प्रयोग और नई पहल करने के लिए वांछनीय स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी।

हाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति धीमी रही है। चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही। यह पिछले दशक के लगभग 8 प्रतिशत वार्षिक विकास औसत दर से काफी कम है। हमारी विकास दर वैश्विक और घरेलू दोनों ही कारणों से धीमी रही है। मेरी सरकार इस मंदी के कारणों से निपटने के लिए कदम उठा रही है। मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है किंतु यह अभी भी एक समस्या बनी हुई है।

हाल के महीनों में सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई है और विकास दर में पुनः वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णयों से भी देश और विदेश में लोग पुनः आशावादी हुए हैं।

मेरी सरकार ने चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद की 5.3 प्रतिशत की दर पर सीमित करते हुए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्य योजना घोषित की है। मेरी सरकार माल एवं सेवा कर के संबंध में आम सहमति कायम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी कार्य कर रही है।

माननीय सदस्यगण,

कृषि के मोर्चे पर हमारे खुश होने की वजह है। 11वीं योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास दर, 10वीं योजना के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 3.7 प्रतिशत रही।

यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि सरकार सहायक नीतियों के साथ-साथ कृषकों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, लगातार दो वर्षों में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है और गत वर्ष यह 260 मिलियन टन तक पहुंचा। आशा है कि हम, इस वर्ष अनियमित और कम वर्षा के बावजूद, 250 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे।

इस प्रकार देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है। 1 फरवरी, 2013 को सरकारी एजेंसियों के पास कुल खाद्यान्नों 662 लाख टन था, जिसमें 307 लाख टन गेहूं और 353 लाख टन चावल था। मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2011-12 में गन्ना और कपास की रिकार्ड पैदावार हुई है।

मेरी सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षा-सिंचित एवं परती क्षेत्रों के विकास पर जोर देती रहेगी। इस योजना अवधि के लिए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत रु 29,296 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2011-2012 के दौरान बागवानी उत्पादन, अब तक के उच्चतम 251 मिलियन टन तक पहुंच गया। वर्ष 2012-2013 को बागवानी वर्ष-घोषित किया गया है। प्रशीतन श्रृंखला (कोल्ड चेन) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रशीतन श्रृंखला विकास केन्द्र की स्थापना की गई है।

वर्ष 2011-12 में देश में 128 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना हुआ है। दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डेरी योजना चरण-I का अनुमोदन किया है जिससे वर्ष 2016-17 तक 150 मिलियन टन की अनुमानित राष्ट्रीय मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

खाद्य प्रसंस्करण को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" प्रारंभ किया है। "सार्वजनिक निजी भागदारी" के अंतर्गत गोदामों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी दो वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5.4 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सहित देश भर में लगभग 181 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन किया जाएगा।

हाल ही में यूरिया के लिए नई निवेश नीति के अनुमोदन के परिणामस्वरूप वर्ष 2017 तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के सृजन की संभावना है, जिससे देश यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

11वीं योजना के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 34 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 12वीं योजना के दौरान, 87 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन की योजना है। हाल ही में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अपनाई गई नवीन राष्ट्रीय जल नीति में जल के सही उपयोग तथा जल संसाधनों की योजना को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, समता, सामाजिक न्याय और चिरस्थायी विकास के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

माननीय सदस्यगण,

कठिनाई के समय रोजगार चाहने वाले लोगों को काम दिलाने के मेरी सरकार के प्रयास के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लगातार नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। वर्ष 2011-12 में इस योजना के तहत लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ग्रामीण गरीबों के लिए उन्नत आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने "इंदिरा आवास योजना" के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में काफी बढ़ोतरी की है जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में इसे प्रति इकाई 45,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपए और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई 48,500 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है।

मेरी सरकार ने हाल ही में भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक में महत्वपूर्ण सरकारी संशोधन किए हैं। मैं आश्वस्त हुं कि यह कानून अधिनियमित हो जाएगा।

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अगले चरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान चालू परियोजनाओं को जारी रखने के लिए तथा नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए वर्तमान मिशन की अवधि को मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि शहरी आधारभूत संरचना के विकास की गति को बरकरार रखा जा सके। शहरी स्थानीय निकायों में क्षमता-निर्माण प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने अलग से 1000 करोड़ रुपए की निधि के सृजन का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि राजीव आवास योजना के अंतर्गत 12वीं योजना में 10 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य के साथ योजना का विस्तार सभी लघु एवं मध्यम नगरों तक किया जाए।

मेरी सरकार पेयजल स्रोतों के संदूषण की समस्या के समाधान को प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान, 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम निधि' का 5 प्रतिशत इस समस्या का सामना कर रहे राज्यों को आबंटित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है। जिन राज्यों में पाइपलाइन जलापूर्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है उनकी सहायता के लिए, विश्व बैंक की सहायता से निम्न आय वाले राज्यों हेतु ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना तैयार की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए है।

बीमारियों को कम करने में ग्रामीण स्वच्छता के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने इसे उच्च प्राथमिकता दी है। 'पूर्ण स्वच्छता अभियान' को 'निर्मल भारत अभियान' के रूप में संशोधित किया गया है जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मेरी सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत विधवाओं और नि:शक्त लाभार्थियों की पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति माह कर दिया है। 80 वर्ष की उम्र हो जाने पर इन दोनों स्कीमों के लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं जिसके अंतर्गत उन्हें प्रतिमाह 500 रुपए की पेंशन प्राप्त होती है।

पथ विक्रेताओं के योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा राज्यों में इनके लिए विधिक ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012" संसद में पेश किया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन्य अधिकारों की पहचान) अधिनियम, 2006 के अधीन 32 लाख से अधिक दावे दर्ज किए गए हैं और लगभग 13 लाख अधिकार-पत्र वितरित किए गए हैं।

मेरी सरकार अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए तीन छात्रवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है और प्रत्येक स्कीम में 30 प्रतिशत निधि छात्राओं के लिए

निर्धारित की गई है। वर्ष 2012-13 में 31 दिसंबर तक 55 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 880 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 66 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। वक्फ अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है और वक्फ संपत्तियों के विकास एवं संरक्षण के लिए वक्फ विकास निगम की स्थापना की जाएगी।

प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि चिह्नित योजनाओं के लक्ष्यों एवं परिव्ययों का 15 प्रतिशत लाभ अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचे। वित्तीय समावेशन के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 30.09.2012 तक राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों को 1,71,960 करोड़ रुपए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिया गया, जो कि कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के 15 प्रतिशत से अधिक था।

मेरे पूर्ववर्ती द्वारा विगत वर्ष में किए गए वादे के अनुरूप, सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने तथा सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए एक नया विधेयक सितंबर, 2012 में लोक सभा में पेश किया गया।

कक्षा IX और X में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिससे लगभग 40 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है।

मेरी सरकार ने एक पृथक निःशक्तता कार्य विभाग का सृजन किया है। सरकार ने निःशक्त छात्रों के लिए हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना प्रारंभ की है जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए मेरी सरकार ने 12वीं योजना के दौरान कुल 1,23,580 करोड़ रुपए के परिव्यय से समेकित बाल विकास स्कीम के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण योजना का अनुमोदन किया है।

मेरी सरकार ने 'लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' के रूप में एक नया कानून बनाया है, जिसके अंतर्गत अपराध करने वालों या ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

मेरी सरकार ने, कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, निषेध एवं समाधान) विधेयक, 2012", संसद में पेश किया। यह विधेयक लोक सभा में पारित हो चुका है। मेरी सरकार महिलाओं के प्रति यौन अपराधों की घटनाओं के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने महिलाओं के प्रति घृणित अपराधों के लिए कड़े दंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, आपराधिक कानून में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपायों का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के अंतर्गत 100 जिलों में सरकारी अस्पतालों में, "वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर" के नाम से पायलट परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा, जो हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला एक विशिष्ट सुविधा केन्द्र होगा।

वर्तमान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 12 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है। मेरी सरकार ने इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार क्रमिक रूप से इस कार्यक्रम का दायरा पूर्व-प्राथमिक स्कूलों तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' नामक एक नए कार्यक्रम के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को केंद्रीय निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कार्यनीतिक बदलाव पर विचार कर रही है। यह कार्यक्रम राज्यों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार, समानता और उत्कृष्टता संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए समेकित रूप से व्यापक उच्चतर शिक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

मेरी सरकार ने हमारे कौशल विकास प्रयासों को तीव्र करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आईटीआई की संख्या, जो वर्ष 2006-07 में 5114 थी, वर्ष 2012 के अंत तक, दोगुने से भी अधिक होकर 10,344 हो गई है।

माननीय सदस्यगण,

हमने जनवरी, 2013 में वाइल्ड पोलियो वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आने के दो वर्ष पूरे किए। पोलियो उन्मूलन कार्यों के शुरू होने के बाद यह देश में सर्वाधिक लंबी पोलियो-मुक्त अवधि है।

स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत 2005-06 से 2012-13 तक की अवधि में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित 43,500 से अधिक नए निर्माण और उन्नयन कार्य शुरू किए गए और सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में लगभग 70,000 अतिरिक्त शय्याओं की व्यवस्था की गई। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में लगभग 1.45 लाख स्वास्थ्यकर्मी नियोजित किए गए।

विगत दो वर्षों में दूरवर्ती और अल्प-सुविधाओं वाले जिलों में नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 200 से अधिक नर्सिंग स्कूलों को मंजूरी दी है। चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुधार किए गए, जिनके फलस्वरूप विगत 5 वर्षों में एमबीबीएस सीटों में 46 प्रतिशत और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 70 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई। ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए सर्वसमावेशी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वर्ष 2011-12 के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1.1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुई। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में पूर्णत: नि:शुल्क चिकित्सा सेवा प्राप्त करने की हकदार है।

बच्चों के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार ने 30 विभिन्न प्रकार के रोगों, विकारों, कमियों और विकलांगताओं के लिए 18 वर्ष से छोटे बच्चों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस राष्ट्रीय पहल में अंतत: पूरे राष्ट्र से 27 करोड़ बच्चों को शामिल किया जाएगा।

सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर में काफी कमी आई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जो कि 1996-2000 की अवधि में 61.9 वर्ष थी, 2006-10 की अवधि में बढ़कर 66.1 वर्ष हो गई है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। विगत दशक में इस कार्यक्रम से प्रतिवर्ष नए एचआईवी संक्रमण में 57 प्रतिशत की कमी आई है। वयस्क एचआईवी संक्रमण वर्ष 2000 में 0.40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 0.27 प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ होने के बाद इस स्कीम के अंतर्गत 3.35 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए और 43.26 लाख से अधिक व्यक्तियों ने अस्पताल सुविधा का लाभ उठाया। इस बीमा योजना के अंतर्गत भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों, पथ विक्रेताओं, बीड़ी कामगारों और अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

पर्याप्त और उत्तम बुनियादी ढांचे का अभाव हमारी अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में एक बड़ी बाधा है। अत: यह अनिवार्य है कि बुनियादी ढांचे में इस कमी को दूर किया जाए और इसमें पर्याप्त निवेश किया जाए। सरकार ने इस दिशा में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं।

पहला कदम है, निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन, ताकि परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन और अनुमति लेने संबंधी निर्णय शीघ्र लिए जा सकें। दूसरा कदम है, बुनियादी ऋण निधि का सृजन, ताकि बुनियादी परियोजनाओं को पुन: वित्त-पोषित करने के लिए किफायती और दीर्घकालिक संसाधन जुटाए जा सके।

मेरी सरकार, एक दशक के भीतर, विनिर्माण को सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत तक बढ़ाने और 10 करोड़ रोजगारों के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत, 12 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन अधिसूचित हो चुके हैं, जिनमें से 8 दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर के साथ-साथ तथा 4 अन्य नागपुर, तुमकुर, चित्तूर और मेडक में बनाए गए हैं। मेरी सरकार ने सिंगल-ब्रांड और मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार, विमान परिवहन सेवाओं, पावर एक्सचेंजों और प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को उदार बनाया है। निवेशकों और व्यापारों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक 24×7 ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करने के लिए ई-बिज परियोजना शुरू की गई है।

राष्ट्रीय विद्युत परिवहन मिशन योजना-2020 तैयार कर ली गई है। इसमें ऐसे विद्युत और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को सुविधाजनक बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है जो पर्यावरण अनुकूल हों तथा जीवाश्म ईंधनों (फॉसिल फ्यूल) पर हमारी निर्भरता को कम कर सकें।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति-2012 अधिसूचित की है ताकि किफायती मूल्यों पर आवश्यक औषधियां मिलने के साथ-साथ उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा के पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जा सकें। हैदराबाद, गांधीनगर,

हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में छह नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों में कार्य शुरू हो गया है।

मेरी सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा श्रम बहुल क्षेत्रों को सहायता देने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं। वर्ष 2012-13 में भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।

हथकरघा बनुकरों को और अधिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से मेरी सरकार हथकरघा क्षेत्र के लिए रियायती दर पर ऋण प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि लगभग 10 लाख हथकरघा बनुकरों को लाभ दिया जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, कुल सरकारी क्रय का 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदा जाना है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ष 2012 में लघु और मध्यम उद्यम एक्सचेंज प्लेटफार्म शुरू किए हैं ताकि लघु एवं मध्यम उद्योग, पूंजी बाजार का आसानी से लाभ उठा सकें।

हमारे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए दिसम्बर, 2012 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 एक बड़ा कदम है। धन-शोधन निवारण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन किया है।

वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के अनुसार सरकार ने पहली बार खुदरा निवेश करने वालों के लिए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना अधिसूचित की हैं। विनिवेश नीति के माध्यम से हमने सरकारी उद्यमों में आम लोगों के स्वामित्व को बढ़ाया है।

देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है जो कि वर्ष 2012 के दौरान अनुमानत: 94,487 करोड़ रुपए था। यह पिछले वर्ष से 21 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अनुमानत: 66.5 लाख थी।

भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा नागर विमानन बाजार है। कोलकाता और चेन्नै विमानपत्तनों पर अब नए टर्मिनल बनाए गए हैं। मेरी सरकार ने नवी मुंबई, मोपा और कन्नूर विमानपत्तनों के अलावा, केरल में अरनमूला में भी नए विमानपत्तन स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।

डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना हमारे पूर्वी और पश्चिमी तटों को देश के भीतरी भागों से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसमें 3300 किलोमीटर रेलमार्ग शामिल होगा। 1000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है।

आधुनिक स्टेनलैस स्टील रेलवे कोचों का निर्माण करने के लिए रायबरेली में अत्याधुनिक कोच निर्माण केन्द्र प्रारंभ किया गया है। प्रथम और अंतिम मील परियोजनाओं के लिए तथा रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अधीन अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में बनिहाल-काजीगुंड सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया गया है और रेल सेवा प्रारंभ करने का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2012-13 में 2600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना और 3000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण के लिए संविदाएं दिया जाना अपेक्षित है। सड़क निर्माण के लिए नई ईपीसी पद्धति अपनाई गई है। इस पद्धति से पारंपरिक संविदा पद्धतियों की तुलना में लागत और समय की काफी बचत होगी। 2900 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा, जिससे सड़क रखरखाव में सुधार होगा। कश्मीर घाटी को कारगिल-लद्दाख क्षेत्र से जोड़ने के लिए 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए पहले ही अनुमोदन दिया जा चुका है और 13 किलोमीटर लंबी एक और सुंरग की योजना तैयार कर ली गई है। इससे हर मौसम में आवागमन सुनिश्चित होगा।

वर्ष 2012-13 में, 42 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पत्तन परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य रक्षा गया है जिसमें वर्ष 2012-13 में 14,770 करोड़ रुपए के निवेश से 251 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करना शामिल है। लगभग 100 मिलियन टन प्रति वर्ष की कुल अतिरिक्त क्षमता वाले दो नए बड़े पत्तन, एक पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड में तथा दूसरा आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण तथा माइन डेवलेपर व आपरेटर लगा कर नए कोयला ब्लॉकों के विकास जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। लंबित मुद्दों का समाधान करने के बाद, सीआईएल द्वारा विद्युत कंपनियों के साथ 46 ईंधन-आपूर्ति करारों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रतिस्पर्धा बोली नियम द्वारा नई नीलामी की अधिसूचना का अनुपालन करते हुए मेरी सरकार, प्रारंभ में, सरकारी कंपनियों को 17 कोयला ब्लॉकों का आबंटन करने की प्रक्रिया में है।

मेरी सरकार ने हमारे खनिज संसाधनों को दोहन करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 12वीं योजना के दौरान, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 5.71 लाख वर्ग किलोमीटर अत्यधिक संभावनापूर्ण क्षेत्र के भूभौतिकीय एवं भू-रासायनिक मानचित्रण को पूरा करने की योजना बनाई है। गहन समुद्र में खनिजों की खोज करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महासागरीय अनुसंधान जलयान के वर्ष 2013 में जलावतरण की संभावना है।

11वीं योजना के दौरान 54,964 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है, जो कि 10वीं योजना के दौरान की गई क्षमता वृद्धि का लगभग ढाई गुना है। 11वीं योजना के अंत में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 2 लाख मेगावाट थी। 12वीं योजना के अंत तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, इस योजना में 88,537 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता वृद्धि का लक्ष्य है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत एक लाख से अधिक ऐसे गांवों में बिजली पहुंचाई गई, जहां अभी तक बिजली नहीं थी। लगभग 2,85,000 गांवों को सघन रूप से बिजली दी गई है और गरीबी रेखा से नीचे के 2 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।

राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए एक स्कीम भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके और वे लंबे समय तक चल सकें। इससे वित्तीय संस्थाओं का विद्युत कंपनियों पर 1.85 लाख करोड़ से अधिक के ऋणों का निपटान किया जा सकेगा।

तेल और गैस के आयात पर हमारी निर्भरता, जो इस समय हमारी जरूरत के 75 प्रतिशत से अधिक है, को अनुकूल नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए काफी कम करने का मेरी सरकार का लक्ष्य है।

आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अहम भूमिका रहेगी। देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिष्ठापित क्षमता 26,400 मेगावाट से अधिक है जो कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के 12 प्रतिशत से अधिक है।

मेरी सरकार के सुधार प्रयासों और सक्रिय नीतियों तथा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 935 मिलियन से अधिक टेलीफोन कनेक्शनों के साथ, भारतीय टेलीफोन नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क हैं। अक्तूबर, 2012 में दूरसंचार सुविधा की सघनता 76.75 प्रतिशत थी और गांवों में यह 40 प्रतिशत को पार कर गई सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 अनुमोदित कर दी है जिसमें दूरसंचार क्षेत्र के लिए विजन और स्ट्रेटेजिक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क योजना के अधीन ढाई लाख ग्राम पंचायतों को दिसंबर, 2014 तक ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ा जाएगा।

डाक विभाग ग्रामीण आईसीटी कार्यक्रम शुरू कर रहा है जिसके माध्यम से सभी डाकघर इलैक्ट्रानिक रूप से जोड़े जाएंगे। इसके अंतर्गत डाक और बैंकिंग दोनों प्रकार की सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए 1,30,000 डाक घरों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

वर्ष 2011-2012 में, भारतीय आईटी और आईटी आधारित सेवा उद्योग ने 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित कर उल्लेखनीय क्षमता दशाई है। 2011-12 में आईटी सॉफ्टवेयर और सेवाओं में कुल नियोजन लगभग 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 2.8 मिलियन तक पहुंच गया।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक नीति 2012 अनुमोदित की है जिसमें ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है जिनमें घरेलू इलैक्ट्रॉनिकी डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति अनुमोदित कर दी गई है। इस नीति में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और उभारने एवं मजबूत करने तथा देश के तीव्र, समावेशी और निरंतर विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के सक्रिय उपयोग करने की संकल्पना की गई है। वर्तमान में लगभग एक लाख नागरिक सेवा केन्द्र लोगों को आईटी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

सरकार ने तीन महानगरों में केबल टीवी डिजिटाइजेशन का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसे अन्य महानगरों में भी चरणबद्ध ढंग से विस्तारित किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण,

हम भारतीय सिनेमा का 100वां वर्ष मना रहे हैं। राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का प्रथम चरण गुलशन महल, मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किए जाने का प्रस्ताव है।

सरकार ने वर्ष 2012 के दौरान, स्वामी विवेकानंद का 150वां

जन्म दिवस तथा गदर आंदोलन की शताब्दी मनाने के लिए तैयारी के अतिरिक्त गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री मदन मोहन मालवीय और श्री मोती लाल नेहरू का 150वां जन्म दिवस मनाया। एक नए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार "टैगौर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार" की शुरुआत की गई है। पहला पुरस्कार स्वर्गीय पंडित रवि शंकर को मरणोपरांत दिया जाएगा। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय लाइब्रेरी मिशन भी आरंभ कर दिया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2012 में अपनी स्थापना का 150वां वर्ष मनाया और कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए महत्वपूर्ण पहल की।

लंदन ओलंपिक और पराओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्साहवर्धक रहा। मेरी सरकार ने चुनिंदा खेलों में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए दीर्घावधि योजना बनाने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार पंचायत से जिला स्तर तक के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए भी नई प्रणाली लागू करना चाहती है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, तमिलनाडु को राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान का दर्जा दिया गया है।

माननीय सदस्यगण,

देश के कुछ भागों में पिछले दिनों सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। मेरी सरकार सांप्रदायिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कृत संकल्पित है।

जुलाई, 2012 में असम के कुछ जिलों में हिंसा की घटनाएं हुईं, जिनमें लगभग 100 लोग मारे गए। हिंसा को काबू करने के लिए पर्याप्त सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। राज्य सरकार ने राहत शिविरों की स्थापना की और प्रभावित लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराईं। केंद्र सरकार ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी।

वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में कमी देखी गई है। नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या वर्ष 2011 में 611 थी, जो वर्ष 2012 में घटकर 414 रह गई।

मेरी सरकार वामपंथी उग्रवाद से व्यापक रूप से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उग्रवादियों के विरुद्ध सक्रिय एवं निरंतर अभियान चलाने तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास एवं शासन संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की द्वि-आयामी नीति के अनुसार कार्य कर रही है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 400 पुलिस थानों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक नई योजना शुरू की गई है। सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में 7300 करोड़ रुपए की लागत से सड़क संपर्क सुधार योजना का प्रथम चरण मार्च, 2015 तक पूरा होने की संभावना है।

जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जम्मू और कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2011 में 8.99 लाख थी जो वर्ष 2012 में बढ़कर 12.37 लाख हो गई। वर्ष 2011 की तुलना में, वर्ष 2012 में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में मृतकों की संख्या घटकर लगभग आधी रह गई। नियोजन से जुड़ी 'उड़ान' योजना के तहत, जम्मू और कश्मीर के लगभग 25000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के निजी क्षेत्र के प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। हिमायत नामक एक अन्य नियोजन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, राज्य के 1650 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 650 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है।

मेरी सरकार ने सीमा प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं म्यांमार के साथ लगती सीमाओं पर घेराबंदी करने, सड़क बनाने एवं फ्लडलाइटों के कार्य के अतिरिक्त सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश एवं भारत-पाकिस्तान सीमा पर 509 अतिरिक्त सीमा चौकियां बनाने का निर्णय भी लिया गया है। अटारी स्थित एकीकृत जांच चौकी को अप्रैल, 2012 में चालू कर दिया गया है।

त्रिपक्षीय करार के अनुपालन में दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अगस्त, 2012 में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) नामक स्वायत्त निकाय का गठन किया गया है। मेरी सरकार आर्थिक-सामाजिक ढांचे के विकास के लिए 3 वर्ष तक जीटीए को 200 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह पश्चिम बंगाल राज्य को दी जाने वाली सामान्य योजना सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार शासन में आर्थिक पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही हेतु सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक, विदेशी लोक पदधारी और अंतराष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक और लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अधिनियमित करने को प्राथमिकता देती है और ये विधेयक पहले

ही संसद में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। मेरी सरकारी प्रभावी रूप से दोषियों को दंडित करने और ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है।

मेरी सरकार ने देश में विधिक और न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 12वीं योजना में 4867 करोड़ रुपए के संवर्धित वित्तपोषण सहित कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। 14000 से अधिक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना एवं संचार तकनीक से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि वादकारियों को उत्तम नागरिक-केंद्रित सेवाएं मुहैया हो सकें। आम आदमी को किफायती और शीघ्र न्याय सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरी सरकार का न्यायिक सुधारों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक को इस सत्र में पेश करने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्यगण,

भारत की जनता, सशस्त्र बलों द्वारा राष्ट्र की रक्षा करने में उनके अनुकरणीय कार्य-कौशल, प्रतिबद्धता एवं बहादुरी के लिए कृतज्ञ है। देश अपने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है।

हमारे सशस्त्र बल देश को किसी भी खतरे से बचाने के लिए पूर्णत: तैयार हैं। मेरी सरकार सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक एवं सुसज्जित बनाने तथा रक्षा ढांचे को, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, सुदृढ़ करने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास में आत्मनिर्भरता लाने और रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करती रहेगी। मिसाइल कार्यक्रम की निरंतर प्रगति से हमारी निवारक क्षमता और अधिक बढ़ी है। तटीय सुरक्षा भी और सुदृढ़ की गई है।

मेरी सरकार सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को सर्वाधिक महत्व देती है। सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के वेतन एवं पेंशन में वृद्धि करने और विसंगतियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इससे 13 लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे।

मेरी सरकार की विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने, राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने ओर हमारे अंतरराष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के उद्देश्यों से प्रेरित है।

हम इस उप-महाद्वीप में शांति, स्थिरता, सहयोग एवं आर्थिक विकास बनाए रखना चाहते हैं। हम अपने निकट पड़ोसियों के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, द्विपक्षीय व्यापार तंत्र को सुदृढ़ करने तथा दोनों देशों की जनता के बीच परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दिशा में प्रगति की है। यद्यपि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, फिर भी यह जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करे और ऐसे कार्य न करे जिससे विश्वास कम हो। अफगानिस्तान, वर्ष 2014 एवं आगे के लिए राजनीतिक एवं सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है, हम अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने और आतंकवाद एवं उग्रवाद से लड़ने के लिए उसे सहयोग देते रहेंगे।

मेरी सरकार का बांग्लादेश के साथ हुए भू-सीमा करार एवं इसके 2011 के प्रोटोकॉल के उपबंधों को लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इससे सीमा प्रबंधन और हमारी सुरक्षा मजबूत होगी।

हम श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें वहां आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को बसाने और उनका पुनर्वास करने के प्रयास शामिल हैं ताकि तमिल लोगों के लिए शांति व सम्मान के साथ भेदभाव रहित जीवन सुनिश्चित हो सके।

पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में मेरी सरकार संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करने के ऐसे प्रयासों का समर्थन करती है जिसमें लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं शामिल हों। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 60 लाख भारतीय रहते हैं और कार्य करते हैं तथा हम अपनी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर निर्भर हैं। हमने अफ्रीका के देशों के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है और उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि की है।

वार्षिक आसियान-भारत शिखर वार्ता की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर, 2012 में नई दिल्ली में आयोजित आसियान-भारत स्मारक शिखर वार्ता में हम आसियान के साथ अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक भागीदारी के स्तर तक ले गए हैं और हमने सेवाओं तथा निवेश के क्षेत्र में आसियान-भारत मुक्त व्यापार करार से संबंधित वार्ता को अंतिम रूप दे दिया है।

मेरी सरकार चीन के साथ हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा

में सुदृढ़ करने के लिए नए चीनी नेतृत्व के कार्य करने की इच्छुक है। जापान हमारे ढांचागत विकास के प्रयासों में मुख्य भागीदार है, उनके साथ हमारे बहुआयामी संबंधों में अच्छी प्रगति हुई है। दिसंबर, 2012 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से रूस के साथ हमारी विशेषाधिकृत एवं स्ट्रेटेजिक भागीदारी को और बल मिला है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक भागीदारी, हमारे संबंधों के सभी क्षेत्रों में प्रगति सहित और अधिक गहन हुई है तथा हम राष्ट्रपति ओबामा के दूसरे कार्यकाल के दौरान इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की आशा करते हैं। यूरोप के साथ भारत के पारंपरिक मजबूत रिश्ते और बेहतर होंगे। फरवरी, 2013 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रौंस्वा ओलौन्द के दिल्ली दौरे से, जिनका राष्ट्रपति के रूप में एशिया का पहला दौरा है, फ्रांस के साथ हमारी मित्रता तथा व्यापक स्ट्रेटेजिक सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा।

भारत ने पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिषद के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शीघ्र सुधार को गति देने के लिए प्रयास तेज किए हैं। हम जलदस्युओं के विरुद्ध संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जलदस्युओं के विरुद्ध भारत में अभियोजन करने के लिए पिछले वर्ष संसद में जलदस्युता विधेयक प्रस्तुत किया गया था।

भारत वैश्विक बहुपक्षीय राजनय के क्षेत्र में भी सकारात्मक रूप से सक्रिय रहा। हमने मार्च, 2012 में नई दिल्ली में चौथी ब्रिक्स शिखरवार्ता का आयोजन किया और अक्तूबर, 2012 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर सीमा संघ की मंत्रालयीय बैठक का भी आयोजन किया।

हमारी विकास भागीदारी के विस्तार और हमारी विदेश नीति में इसकी बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मेरी सरकार ने विदेश मंत्रालय में एक विकास भागीदारी प्रशासन की स्थापना की है जिससे हमारे व्यापक सहायता कार्यक्रम को अधिक दक्षता एवं प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। इसमें वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण तथा हमारे विकास संबंधी अनुभव एवं विशेषज्ञता का आदान-प्रदान शामिल है।

मेरी सरकार ने नागरिकों को समय पर, सुविधाजनक और पारदर्शी रूप में पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत एक मिशन आधारित पासपोर्ट सेवा परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है।

मेरी सरकार प्रवासी भारतीयों के हित एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों को जीवन बीमा, पेंशन तथा वापसी और पुनर्वास बचत आदि लाभ प्रदान करने के लिए मई, 2012 में प्रायोगिक आधार पर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना आरंभ की है। हमने फिनलैंड, कनाडा, जापान एवं स्वीडन के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आस्ट्रिया एवं पुर्तगाल के साथ भी इसी प्रकार के समझौतों पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

माननीय सदस्यगण,

हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है और इससे देश को कई क्षेत्रों में फायदा हुआ है। 9 सितंबर, 2012 को पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण हमारा 100वां अंतरिक्ष मिशन था। हर मौसम में प्रतिबिंबन क्षमता वाला भारत का प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह रीसैट-1 को भी वर्ष 2012 में प्रक्षेपित किया गया था। वर्ष 2013 में कई अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना है जिसमें मंगल ग्रह के लिए प्रथम मिशन तथा प्रथम नेविगेशनल उपग्रह का प्रक्षेपण भी शामिल है।

हमारा देश नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से बिजली के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-2012 में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। रूस के सहयोग से स्थापित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की दो इकाइयां इस वर्ष कुडनकुलम में चालू हो जाएंगी। मेरी सरकार नाभिकीय संयंत्रों की सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता देती है। नाभिकीय सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण गठित करने संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। हमने देश के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की समस्त सुरक्षा प्रणालियों की आंतरिक तकनीकी समीक्षा भी की है। इसके अतिरिक्त हम नाभिकीय सुरक्षा संबंधी समस्त मामलों पर अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी के साथ भी काम कर रहे हैं।

सरकार ने तीव्र, सतत् एवं समावेशी विकास के लिए विज्ञान आधारित समाधानों की खोज, विस्तार एवं प्रसार में तेजी लाने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2013 तैयार की है। स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए और अनुसंधान को प्रेरित करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार योजना के अंतर्गत

लगभग 7.30 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में लगभग 48 प्रतिशत छात्राएं और 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं। इस वर्ष "डॉक्टोरल अनुसंधान के लिए प्रधानमंत्री अध्येतावृत्ति योजना" नाम से एक नई सार्वजनिक निजी भागीदारी अध्येतावृत्ति शुरू की गई है।

सरकार एक समर्पित भूकंप विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित कर रही है और सरकार ने पूर्ववर्ती परिवर्तनों के अध्ययन के लिए महाराष्ट्र के भूकंप संभावित कोयला-वारना क्षेत्र में अनूठा अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली को अक्तूबर, 2012 में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सुनामी सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अंटार्कटिका में भारत के तीसरे स्थायी स्टेशन को मार्च, 2012 में चालू किया गया।

भारत ने अक्तूबर, 2012 में हैदराबाद में जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों के 11वें सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस सम्मेलन से भारत को जैव विविधता से संबंधित अपनी क्षमताओं को समेकित करने, बढ़ाने एवं प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इस सम्मेलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक, पक्षकारों द्वारा वर्ष, 2015 तक विकासशील देशों को उपलब्ध कराए जाने वाले जैव विविधता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों को दोगुना करने की प्रतिबद्धता थी। सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा 'हैदराबाद संकल्प' जारी किया गया जिसमें उन्होंने पक्षकारों के सम्मेलन की भारतीय अध्यक्षता के दौरान, भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए संस्थागत तकनीकी एवं मानवीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने और अन्य विकासशील देशों के समान क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित करने की घोषणा की।

अभी हाल ही में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर दोहा सम्मेलन में भारत ने यह सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाई कि समानता और साथ ही साथ समान किंतु अलग-अलग उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत पक्षकारों के प्रयासों के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता रहे।

माननीय सदस्यगण,

राष्ट्र के रूप में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हमें ऐसे उदार और बहुलवादी लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है जिसने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। विश्व भारत की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष परिपाटियों को बड़ी उपलब्धि मानता है। ऐसी बहुलता से प्राप्त होने वाले लाभों से, जहां हमें आनंदित होना चाहिए, वहीं हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत आर्थिक विकास की गति को तेज करने और अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों को लगातार जारी रखना भी एक चुनौती है। ऐसा कर पाने और आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी राष्ट्रीयता को परिभाषित करने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों का निरंतर नवीकरण तथा उनकी रक्षा करनी होगी। मैं अपनी सरकार की ओर से आप सबसे अपील करता हूं कि एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में, भारत को आगे ले जाने के लिए हमारे प्रयासों का समर्थन करें।

जय हिन्द।

अपराह्न 12.42 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने सहयोगी श्री उमाशंकर सिंह और दो भूतपूर्व सहयोगियों श्री मनहरन लाल पाण्डेय तथा श्री पी. षणमुगम के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री उमाशंकर सिंह सभा के वर्तमान सदस्य थे तथा उन्होंने बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह 1977 से 1995 और 2000 से 2005 तक पांच बार बिहार विधान सभा के सदस्य भी रहे। एक सुयोग्य सांसद, श्री सिंह ने रेल संबंधी समिति और महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री उमाशंकर सिंह का निधन 73 वर्ष की आयु में 24 जनवरी, 2013 को दिल्ली में हुआ।

श्री मनहरन लाल पाण्डेय 1996 से 1997 तक ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पाण्डेय 1967 से 1972, 1977 से 1980 और 1985 से 1996 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने मध्य

प्रदेश सरकार में 1968 और 1969 के दौरान विद्युत राज्य मंत्री और 1977 से 1980 के दौरान गृह, जेल, सिंचाई और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री मनहरन लाल पाण्डेय का निधन 74 वर्ष की आयु में 21 जनवरी, 2013 को रायपुर में हुआ।

श्री पी. षणमुगम सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तत्कालीन पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सुप्रसिद्ध संसदविद्, श्री षणमुगम तीन बार पांडिचेरी विधान सभा के भी सदस्य रहे और उन्होंने 1969 से 1973 तक पांडिचेरी विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया।

श्री पी. षणमुगम 2000 से 2001 तक पांडिचेरी के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने पांडिचेरी सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री पी. षणमुगम एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने पांडिचेरी विश्वविद्यालय और करईकल बंदरगाह की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री पी. षणमुगम का निधन 85 वर्ष की आयु में 2 फरवरी, 2013 को करईकल, पुदुचेरी में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 फरवरी, 2013 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में महिलाओं और बच्चों सहित 37 कुंभ मेला तीर्थ यात्री मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे।

सभा इस त्रासदी पर गहरा शोक प्रकट करती है, जिसके कारण शोक संतप्त और घायल हुए लोगों के परिवारों को दु:ख और पीड़ा पहुंची है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

अपराह्न 12.45 बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदया : अब सभा कल 22 फरवरी, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.46 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 22 फरवरी, 2013/03 फाल्गुन, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।